Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

**IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).**
**[Supply Appeal Case No.- 125/2025]**

Harinath Yadav.................................................................Appellant
Versus
The State of Bihar.......................................................Respondents.

| Serial No. | Date of order of proceeding. | Order with signature of the court. | Office action taken with date |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **05.2.2026** | **आदेश**<br>यह आपूर्ति अपील वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना के रिट याचिका सं0-14946/2018 में दिनांक-22.7.2025 को पारित आदेश के आलोक में न्यायालय समाहर्त्ता, सुपौल के विविध आपूर्ति वाद सं0-09/2018 में दिनांक-14.6.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। LCR प्राप्त है।<br>दिनांक-19.1.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। Petitioner का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। राज्य की ओर से लिखित जवाब दाखिल है।<br>आवेदक का कहना है कि उन्हें P.D.S. डीलर हेतु वर्ष 1980 में अनुज्ञप्ति संख्या-8384/1980 प्राप्त हुआ। प्राप्त अनुज्ञप्ति के आलोक में Petitioner द्वारा वर्ष 1987 तक P.D.S. दुकान का संचालन किया गया। तदोपरांत Petitioner द्वारा P.D.S. दुकान का संचालन नहीं करने का बिन्दु वाद पत्र में अंकित किया गया है। तथा यह कि वर्ष 2016 में Petitioner द्वारा अपने अनुज्ञप्ति को नवीकृत कराने हेतु समाहर्त्ता, सुपौल के समक्ष अभ्यावेदन दाखिल किया गया।<br>उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि वर्ष 1987 में उक्त P.D.S. दुकान का संचालन करने के बाद आवेदक की ओर से उक्त का नवीकरण हेतु आवेदन अनुज्ञापन पदाधिकारी के समक्ष नहीं किया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 कंडिका-2.8 "अनुज्ञप्ति का नवीकरण पाँच वर्ष के लिये किया जायेगा। अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु विहित प्रपत्र-III में आवेदन एवं नवीकरण शुल्क रू 400/- (चार सौ) ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा करने का अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति नवीकृत की जायेगी। नयी अनुज्ञप्ति निर्गत होने की तिथि से पाँच वर्ष समाप्त होने पर इसका नवीकरण एक माह के अंदर किया जायेगा। विलंब रू 50/- (पचास) प्रतिमाह के दर से देय होगा तथा आठ माह के अंदर नवीकृत किया जा सकेगा।" जिससे यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामला कालबाधित श्रेणी में आता है। सुनवाई में आवेदक की ओर से अपने दावे के समर्थन में कोई संगत साक्ष्य समर्पित नहीं किया जा सका है।<br>निम्न न्यायालय के स्तर से संगत तथ्यों की विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप अथवा संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः इस अपील वाद को खारिज किया जाता है।<br>इस आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें।<br><br>05/2/26.<br>आयुक्त,<br>कोशी प्रमंडल, सहरसा।<br><br>लेखापित एवं शुद्धित।<br>05/2/26.<br>आयुक्त,<br>कोशी प्रमंडल, सहरसा। | |